न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 24/23

GCMS NO 2023/49

लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. प्यारे लाल पुत्र कल्याण
2. मोत्या पत्नि स्व0कल्याण
3. लाडबाई पत्नि स्व0श्योराम
4. अंकेश पुत्र श्योराज नाबालिग
5. रिंकू पुत्री श्योराज नाबालिग जरिये माता लाडबाई बेवा श्योराज मीना
6. फोरी पत्नि प्यारेलाल जाति मीना निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरुद्व मु0नं0 22/20 निर्णय दिनांक 21.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री संदीप शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अजय शेखर दवे

दिनांक 04.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 21.12.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 1081 रकबा 0.3000, ख0न0 1094 रकबा 0.2000 , ख0न0 2812/4259 रकबा 0.0700 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 वके ग्राम सारसोप प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। बाह्मी बंटवारे के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने उक्त भूमि का आपस मे बंटवारा कर लिया है। [illegible] अनुसार प्रार्थी के हिस्से की आराजी ख0न0 1081 की संपूर्ण रकबा प्रार्थी [illegible] रहा है। खाता संख्या 1035 की शेष आराजी ख0न0 1094 2512/4259 [illegible] से अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थी जन्मांध है कुछ दिखाई न[illegible] देता है। प्रार्थी हमेशा से [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 1081 को काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 1081 पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलौच व मारपीट करते है। अप्रार्थी प्यारे लाल पत्नि को आगे करके प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार करते है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी के भूखे मरने की नोबत आ जावेगी। खाता संख्या ग्राम सारसोप की भूमि ख0न0 1081,1094, 2812/4259 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। उक्त भूमि मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर प्रार्थी को ख0न0 1081 का खातेदार घोषित किया जाकर प्रार्थी की सेपरेट खातेदारी दर्ज की जावे एवं शेष भूमि ख0न0 1094,2812/4259 को अप्रार्थीगण 1 ता 5 के सेपरेट खातेदारी मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे अंकन किया जावे। जिसका प्रार्थी को अधिकार है। भूमि ख0न0 1081 मे अप्रार्थी को मजाहमत नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से खारिज योग्य है। जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 1035 मे अपीलांट की आराजी ख0न0 1081 ,2812/4259 वाके ग्राम सारसोप 1/2 भूमि का खातेदार काश्तकार है। बांहमी बंटवारे के अनुसार ख0न0 1081 प्रार्थी/अपीलांट के कब्जे काश्त मे आई शेष ख0न0 1094 व 2812/4259 रेस्पो0 के हिस्से व कब्जे मे चली आ रही है। अपीलांट जन्मांध है आंखो से कुछ नही दिखता है इस कारण रेस्पो0 , अपीलांट की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात को काश्त करने मे मजाहमत करते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात पर विश्वास नही करके कानूनी भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट अंधा होने के कारण कमाकर खाने मे असमर्थ है जीवन यापन का कोई जरिया नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा रेस्पो0 को पाबन्द फरमाया जावे कि अपीलांट/प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1081 वाके ग्राम सारसोप के काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय का अधीन निर्णय विधि अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे वाद विचारधीन होने से अपीलांट/प्रार्थी के हिस्से मे आराजी ख0न0 1081 प्रार्थी/अपीलांट के नाम किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:00 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रकार आ सकती है। अपीलांट/प्रार्थी एवं रेस्पो0/अप्रार्थी विवादित भूमि के सहखातेदार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदार को विधि अनुरूप पाबन्द नही किया गया है। जो विधि के सिद्वान्त के अनुरूप है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी गई यदि किसी प्रकार की कोई धमकी रेस्पो0 द्वारा अपीलांट/प्रार्थी को दी जाती तो उनके द्वारा पुलिस थाने मे प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य गलत रूप से पेश किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत बंटवारे के बिना एक खातेदार का कब्जा मानकर अन्य सहखातेदारो को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही मानकर ही निर्णय पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि ख0न0 1081 रकबा 0.3000, ख0न0 1094 रकबा 0.2000 एवं ख0न0 2812/4259 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5700 है0 वाके ग्राम सारसोप प्रार्थी एवं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसमे प्रत्येक का 1/2, 1/2 किये जाने का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचारधीन होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलांट द्वारा कब्जे के आधार पर केवल मात्र ख0न0 1081 रकबा 0.3000 पर रेस्पो0 को पाबन्द करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण ही केवल कब्जे के आधार पर किसी सहखातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही मानकर ही निर्णय पारित किया है। जो विधि के अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 22/20 मे पारित निर्णय दिनांक 21.12.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner